भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4785

(शुक्रवार, 23 मार्च, 2018/2 चैत्र, 1940 (शक) को दिया गया)

निष्क्रिय एवं बंद पड़ी कंपनियां

4785. श्रीमती रंजीत रंजनः
श्री राजेश रंजनः
श्री रामसिंह रठवाः

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में लगभग 15 लाख सूचीबद्ध कंपनियां हैं परंतु वर्ष 2015 तक केवल 10.7 लाख कंपनियां कार्यशील थी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या दिसम्बर, 2017 तक सूचीबद्ध कंपनियों की संख्या 15.19 लाख तक पहुंच गई जबकि दिसम्बर, 2014 में यह संख्या 14.39 लाख थी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने अकार्यशील सूचीबद्ध कंपनियों के विरुद्ध कोई कदम उठाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) गत दो वर्षों के दौरान कंपनियों के पंजीकरण (आरओसी) के अंतर्गत पंजीकृत की गई और बंद कर दी गई कंपनियों की संख्या कितनी है और इनके बंद होने के प्रमुख कारण क्या हैं;
(ङ) गत एक वर्ष के दौरान नई कंपनियों में कितने लोगों को रोजगार मिला और इन कंपनियों के बंद हो जाने के कारण कितने लोग बेरोजगार हुए; और
(च) सरकार द्वारा ऐसी कंपनियां, जो अकार्यशील हैं परंतु सरकार के अभिलेखों में अभी भी बनी हुई हैं, की संख्या का पता लगाने के लिए उठाए गए कदमों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विधि और न्याय एवं कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. पी. चौधरी)

(क): जी नहीं। 31 दिसम्बर, 2015 तक भारत में 15.19 लाख रजिस्ट्रीकृत कंपनियां थीं। इनमें से 10.7 लाख कंपनियां सक्रिय थीं जिनमें 7,269 सूचीबद्ध कंपनियां थीं।

(ख): जी नहीं। दिसम्बर, 2017 तक 17.21 लाख रजिस्ट्रीकृत कंपनियों में से केवल 7,270 सक्रिय सूचीबद्ध कंपनियां थीं जबकि दिसम्बर, 2014 में भारत में 14.39 लाख रजिस्ट्रीकृत कंपनियों में से 7,261 सक्रिय सूचीबद्ध कंपनियां थीं।

(ग): कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने वित्तीय विवरण और वार्षिक विवरणियां दायर न करने के कारण कंपनी अधिनियम, 2013 की विभिन्न धाराओं के अधीन 780 सूचीबद्ध कंपनियों के विरुद्ध अभियोजन दायर किए हैं।

(घ): पिछले दो (2) वित्त वर्षों के दौरान कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी) - वार रजिस्ट्रीकृत और बंद कंपनियों (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(2) के अधीन) की संख्या अनुलग्नक-क में दी गई है।

(ङ): कारपोरेट कार्य मंत्रालय में ऐसी कोई सूचना नहीं रखी जाती है।

(च): कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(1)(ग) में कंपनियों के रजिस्टर से ऐसी कंपनी का नाम हटाने का प्रावधान है जो कंपनी तत्काल पूर्ववर्ती 2(दो) वित्तीय वर्षों से कोई व्यवसाय या परिचालन नहीं कर रही है और उसने उक्त अवधि के अंदर धारा 455 के अधीन निष्क्रिय कंपनी का दर्जा प्राप्त करने के लिए कोई आवेदन नहीं किया है। उपर्युक्त प्रावधान के आधार पर, 31 मार्च, 2017 तक इस श्रेणी के अधीन 2.97 लाख कंपनियों की पहचान की गई और निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करने के बाद 31.12.2017 तक कंपनियों के रजिस्टर से 2,26,166 कंपनियों के नाम हटा दिए गए। ऐसी 2,26,166 कंपनियों के राज्य/संघ शासित क्षेत्रवार ब्यौरे अनुलग्नक-ख में दिए गए हैं।

*****

अनुलग्नक-क

दिनांक 23.03.2018 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4785 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

पिछले दो (2) वित्त वर्षों के दौरान कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी) - वार रजिस्ट्रीकृत और बंद कंपनियों की संख्या निम्नलिखित है :

क्र.सं.	स्थिति कंपनी रजिस्ट्रार का नाम	वित्त वर्ष 2015-16		वित्त वर्ष 2016-17	
		रजिस्ट्रीकृत कंपनियां	बंद कंपनियां	रजिस्ट्रीकृत कंपनियां	बंद कंपनियां
1	अहमदाबाद	3,692	1,253	4,645	1,097
2	अंडमान	-	-	38	-
3	बैंगलोर	7,554	716	8,905	263
4	चंडीगढ़	1,344	447	1,496	365
5	चेन्नई	4,975	1,165	5,433	798
6	छत्तीसगढ़	420	56	537	84
7	कोयम्बटूर	1,148	210	1,227	185
8	कटक	1,247	61	1,523	62
9	दिल्ली	17,525	4,566	20,274	3,684
10	एर्नाकुलम	2,202	467	3,067	358
11	गोवा	236	12	304	149
12	ग्वालियर	1,544	507	2,172	401
13	हिमाचल प्रदेश	263	113	340	81
14	हैदराबाद	7,938	235	8,895	217
15	जयपुर	2,330	854	2,695	605
16	जम्मू	273	10	274	37
17	झारखंड	866	151	1,029	55
18	कानपुर	7,527	1,062	8,682	242
19	कोलकाता	4,473	2,089	4,754	2,628
20	मुम्बई	11,183	2,276	12,345	3,750
21	पटना	2,394	229	2,711	101
22	पुडुचेरी	99	20	93	15
23	पुणे	4,331	730	5,159	786
24	शिलांग	395	82	572	78
25	उत्तराखंड	522	37	678	19
कुल		84,481	17,348	97,848	16,060

*****

अनुलग्नकख-

दिनांक के अतारांकित प्रश्न संख्या 23.03.20184785 **के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक**

2013 ,तक कंपनी अधिनियम 31.12.2017की धारा के अधीन कंपन 248ियों के रजिस्टर से हटाई गई कंपनियों की राज्य वार संख्या निम्नलिखित है।-संघ शासित क्षेत्र/:

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	कंपनी के रजिस्टर से हटाई गई कंपनियां
1	अंडमान एवं निकोबार	76
2	आन्ध्र प्रदेश	3,633
3	अरुणाचल प्रदेश	14
4	असम	172
5	बिहार	1,557
6	चंडीगढ़	1,453
7	छत्तीसगढ़	906
8	दादर एवं नगर हवेली	46
9	दमन एवं दीव	13
10	दिल्ली	43,925
11	गोवा	1,744
12	गुजरात	11,389
13	हरियाणा	3,882
14	हिमाचल प्रदेश	754
15	जम्मू और कश्मीर	1,394
16	झारखंड	636
17	कर्नाटक	18,165
18	केरल	4,059
19	लक्ष्यद्वीप	3
20	मध्य प्रदेश	4,702
21	महाराष्ट्र	59,849
22	मणिपुर	9
23	मेघालय	30
24	मिजोरम	2
25	नागालैंड	6
26	ओडीशा	1,824
27	पुदुचेरी	571
28	पंजाब	2,928
29	राजस्थान	5,178
30	सिक्किम	-
31	तमिलनाडु	24,723
32	तेलंगाना	16,817
33	त्रिपुरा	14

34	उत्तर प्रदेश	6,822
35	उत्तराखंड	792
36	पश्चिम बंगाल	8,078
Total		2,26,166

*****